निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 68/2024
दायरा दिनांकः—19.12.2024
निर्णय दिनांकः— 24.6.25

उनवान

1. काली बाई आयु 52 वर्ष पुत्री मंगल्या जाति कबाडी निवासी ग्राम चांचोडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः— 24.6.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री रामनिवास वैष्णाव — प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वादीया के शामलाती खाते एवं कब्जे काश्त मे आराजी खाता सं० 89 पुराना 91 में अंकित ख0नं0 10 रकबा 0.8473, ख0नं0 1050/7 की 0.2023, ख0नं0 9 रकबा 1.0497 कुल खसरे 3 रकबा कुली 2.0993 हैक्टेयर वाके ग्राम चांचोडा तहसील छबडा जिला बांरा राज० मे वादीया का हिस्सा 1/8 दर्ज जमाबन्दी चला आ रहा है जिस पर वादीया निरन्तर काबिज चली आ रही है। वादीया का उपरोक्त वर्णित आराजी मे राजस्व विभाग की गफलत एवं लापरवाही के कारण फौती इन्तकाल मे पिता मंगल्या जी के फौत होने पर गलती से वादीया का नाम बरफी पुत्री मगला दर्ज हो चुका है जब कि वादीया के मतदाता पहचान पत्र जो निर्वाचन विभाग ने वर्ष 1995 में जारी किया है मे कालीबाई पुत्री मंगल्या नाम दर्ज है एवं राशनकार्ड मे भी कालीबाई पुत्री मंगलिया नाम दर्ज है इस प्रकार से वादीया का गलत नाम बरफी पुत्री मगला नाम जमाबन्दी मे से हटाया दुरूस्त किया जाकर सही नाम कालीबाई पुत्री मंगल्या नाम दर्ज होना अत्यावश्यक है। उपरोक्त गलत दर्ज हुआ नाम बरफी पुत्री मगला राजस्व रेकार्ड मे दुरूस्त होना नितान्त आवश्यक है क्यो कि इसके अभाव मे वादीया अपने प्राप्त अधिकारो से वंचित हो रही है जैसे भूमि का मुआवजा, ऋऋण, एवं सहकारी, इत्यादि से वंचित हो रही है। इसीलिए उक्त नाम सही कालीबाई पुत्री मंगल्या दर्ज होना अत्यावश्यक हैं। इसके लिए दिनांक 10/12/2024 मंगलवार को वादीया श्रीमान तहसीलदार साहब छबडा के पास नाम दुरूस्ती हेतु निवेदन करने गयी तो उन्होने माननीय न्यायालय मे नाम दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत करने की सलाह दी।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम चांचोडा तहसील छबडा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 89 पेश की गई। फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड फोटो प्रति पहचान पत्र पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया। अभिभाषक प्रार्थीया का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम चांचोडा तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थीया का 1/8 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है जिस पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रार्थीया की मृत्यु होने के बाद फोती नामान्तरण खोलतें समय सहवन से प्रार्थीया का नाम बरफी पुत्री मंगला दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थीया का सही नाम काली बाई पुत्री मंगल्या है। प्रार्थीया के अन्य दस्तावेजात में कालीबाई पुत्री मंगल्या बाई दर्ज है एवं राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में बरफी पुत्री मंगला दर्ज कर दिया गया है जो गलत है प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थीया राज्य सरकार से मिलने वाले समस्त योजनाओं सें वंचित होना पड रहा है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में बरफी पुत्री मंगला के स्थान पर काली बाई पुत्री मंगल्या दुरूस्त किया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम चांचोडा में प्रार्थीया के नाम दर्ज वर्तमान जमाबन्दी खसरा नम्बर 10 रकबा 0.8473 है0 खसरा नम्बर 1050/7 रकबा 0.2023 है0 खसरा नम्बर 9 रकबा 1.0497 है0 कुल किता 3 रकबा 2.0993 है में बरफी पुत्री मंगला हिस्सा 1/8 जाति कबाडी दर्ज है प्रार्थीया का नाम अशुद्ध होने के सम्बन्ध में राजस्व रिकार्ड की जॉच की गई जिसमें पाया कि नामान्तरण संख्या 818 दिनांक 20.07.2024 फोती नमान्तरण संख्या दर्ज हुआ जिसमें प्रार्थीया के पिता फोत हो गये मंगला पुत्र बुद्वा कबाडी जिनके स्थान पर उनके वारिसान के नाम दर्ज हुए जिसमें प्रार्थीया का नाम काली बाई पुत्री मंगला दर्ज है जमाबन्दी के सम्बन्ध में जॉच की गई जमाबन्दी सम्वत् 2059–62 में भी प्रार्थीया का नाम काली बाई पुत्री मंगला जाति कबाडी दर्ज होना पाया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2063–66 में प्रार्थीया का नाम बरफी पुत्री मंगला होना पाया गया उपरोक्त जमाबन्दी में नाम बरफी पुत्री मंगला वर्तमान जमाबन्दी तक चला आ रहा है जमाबन्दी सम्वत् 2059–62 में कालीबाई पुत्र मंगला दर्ज था जो फोती नामान्तरण संख्या से दर्ज हुआ जो सही नाम दर्ज हुआ जमाबन्दी सम्वत् 2063–66 में प्रार्थीया का नाम बरफी पुत्री मंगला जाति कबाडी दर्ज हुआ जो सहवन से गलत दर्ज हुआ। प्रार्थीया के अन्य दस्तावेजो में कालीबाई दर्ज है कालीबाई का नाम बरफी पुत्र मंगला जाति कबाडी से कालीबाई पुत्री मंगला दर्ज करने की अनुशंषा की है।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम चांचोडा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 89 में बरफी पुत्री मंगला हिस्सा 1/8 दर्ज हे प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात परिवार राशन कार्ड पहचान पत्र में प्रार्थीया का नाम कालीबाई दर्ज है इससे यह साबित होता है कि प्रार्थीया का सही नाम काली बाई है जो राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है प्रार्थीया अपना नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दुरूस्त करवाना चाहती है

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

हसीलदार छबडा की रिपोर्ट के आधार पर भी प्रार्थी का सही नाम काली बाई दर्ज किया गया था परन्तु जमाबन्दी सम्वत् 2063–66 में प्रार्थीया का नाम काली बाई के स्थान पर बरफी पुत्री मंगला दर्ज कर दिया तहसीलदार छबडा द्वारा प्रार्थीया के सही नाम काली बाई होने की अनुशंषा की है प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम चांचोडा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 10 रकबा 0.8473 है0 खसरा नम्बर 1050/7 रकबा 0.2023 है0 खसरा नम्बर 9 रकबा 1.0497 है0 में प्रार्थीया का नाम बरफी पुत्री मंगला के स्थान पर बरफी उर्फ कालीबाई पुत्री मंगल्या दर्ज करने के आदेंश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर ए एस
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा